राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1061/2007

बी.एल.वर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता (मुख्य कार्यालय), जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 01.08.2007
आदेश की दिनांक : 01.11.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रहलाद सिंह, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 07.10.2006 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु रिक्ति वर्ष 2006–07 के विरूद्ध जिस तिथी से उससे कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नति दी गई है। उसी तिथी से अपीलार्थी को भी पदोन्नति एवं समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति सहायक अभियंता के पद पर वर्ष 1975 में हुई थी और वर्ष 1987 में अधिशाषी अभियंता के पद पर तथा वर्ष 2000 में अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई तथा रिक्ति वर्ष 2002–03 के विरूद्ध अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर वर्ष 2003 में पदोन्नति प्रदान की गई। अपीलार्थी की पूरी सेवा में अभी कोई आरोप नहीं लगा। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.10.2006 के द्वारा वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 के विरूद्ध एपीएआर में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित

की गई, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने कार्मिक विभाग को अभ्यावेदन दिया, जिस पर कोई उचित निर्णय नहीं लिया गया और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वर्ष 2006–07 के विरूद्ध मुख्य अभियंता के पद के लिए दिनांक 11.05.2007 डीपीसी आयोजित कर पदोन्नति आदेश जारी किया गया, जिसमें श्री के.डी.खीचीं और श्री आगम माथुर जो अपीलार्थी से कनिष्ठ हैं, को पदोन्नति प्रदान की गई। परंतु अपीलार्थी को वंचित रखा गया और उनका कथन है कि प्रतिकूल प्रविष्टि के संबंध में अभ्यावेदन का उचित निर्णय नहीं करने के बावजूद अपीलार्थी को पदोन्नति प्रदान नहीं की गई, जबकि उससे कनिष्ठ कार्मिक को मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नति दे दी गई, जो राजस्थान सेवा नियम एवं विधि के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 07.10.2006 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु रिक्ति वर्ष 2006–07 के विरूद्ध जिस तिथी से उससे कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नति दी गई है। उसी तिथी से अपीलार्थी को भी पदोन्नति एवं समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन राज्य कर्मचारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन संबंधित निर्देश 1976 के अनुरूप अंकित किए गए हैं और स्वीकृतकर्ता अधिकारियों ने प्रशासनिक निर्णय लेते हुए अपीलार्थी के कार्यव्यवहार एवं उसकी कार्यक्षमता इत्यादि सभी बातों पर नजदीकता से देखते हुए पूरे वर्ष के लिए समग्र रूप से विचार करते हुए मूल्यांकन प्रतिवेदन भरा गया, जिसमें कोई दुर्भावना नहीं है। अपीलार्थी ने किसी को अपील में पक्षकार भी नहीं बनाया है। अपीलार्थी कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के लिए पत्र दिनांक 08.03.2006 के द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया और पत्र दिनांक 23.02.2008 के द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी को सुनवाई का मौका दिया गया। डीपीसी की बैठक दिनांक 03.06.2007 को आयोजित की गई और अभिलेख के आधार पर अपीलार्थी को मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नति के योग्य नहीं पाया गया, जिसके कारण अपीलार्थी को पदोन्नति प्रदान नहीं की गई। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील के जवाब का उल जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि अपीलार्थी ने प्रतिकूल प्रविष्टि के संबंध में विभाग को जो

अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। विभाग द्वारा उसको निरस्त कर दिया गया और अपीलार्थी को पत्र दिनांक 08.03.2006 प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण वह विस्तृत जानकारी नहीं दे सका। अपीलार्थी दिनांक 29.01.2006 को हृदयघात की बीमारी से पीड़ित हुआ, जिसके कारण उसे दिनांक 30.01.2006 से 01.03.2006 तक अवकाश पर रहना पड़ा। दिनांक 04.03.2006 को जो मीटिंग आयोजित की गई, जिसके कारण अपीलार्थी मीटिंग में शामिल नहीं हो सका। कई बार अपीलार्थी बीमार होते हुए भी अवकाश से वापिस लौटकर कार्य किया। इस प्रकार अपीलार्थी ने कभी कर्तव्यों के प्रति लापरवाही नहीं बरती है। अपीलार्थी हमेशा पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से कर्तव्यों का निर्वहन किया है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील के उल जवाब का उल जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि अपीलार्थी ने विस्तृत अभ्यावेदन दिनांक 08.11.2006 को प्रस्तुत किया, जिसमें अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया गया और सक्षम स्तर से अनुमोदन के पश्चात् दिनांक 23.02.2008 के द्वारा उसे सूचित कर बताया गया कि तथ्यों में ऐसा कोई कारण नहीं है, जिसके आधार पर पत्र दिनांक 07.10.2006 में उसे सूचित की गई प्रतिकूल प्रविष्टियों को हटाया जा सके। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति सहायक अभियंता के पद पर वर्ष 1975 में हुई थी और वर्ष 1987 में अधिशाषी अभियंता के पद पर तथा वर्ष 2000 में अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई तथा रिक्ति वर्ष 2002–03 के विरूद्ध अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर वर्ष 2003 में पदोन्नति प्रदान की गई। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.10.2006 के द्वारा वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 के विरूद्ध एपीएआर में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित होने के कारण प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जो वर्ष 2006–07 के विरूद्ध मुख्य अभियंता के पद के लिए दिनांक 11.05.2007 डीपीसी आयोजित कर पदोन्नति आदेश जारी किया गया, जिसमें अपीलार्थी के नाम पर उक्त पद पर पदोन्नति के संबंध में विचार नहीं किया गया और उससे कनिष्ठ कार्मिक श्री के.डी.खीचीं और श्री आगम माथुर को पदोन्नति प्रदान की गई, जहां तक अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक को वर्ष 2006–07 के विरूद्ध मुख्य अभियंता के

पद पर पदोन्नति प्रदान करने एवं अपीलार्थी को उक्त पद पर पदोन्नति से वंचित किए जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि अपीलार्थी द्वारा कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने के आधार पर उसके एपीएआर में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित की गई है। चूंकि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई ठोस साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे प्रतिकूल प्रविष्टि एपीएआर में अंकित करने का उचित कारण प्रकट हो सके। ऐसी स्थिति में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित आधारों पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी को इस आदेश के जारी होने की दिनांक से एक माह में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी की एपीएआर में प्रतिकूल प्रविष्टि पर नियमानुसार उचित विचार करते हुए एवं राज्य सरकार के नियमों/परिपत्रों/दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए दो माह में उचित निर्णय लेकर अभ्यावेदन का निस्तारण करें, जिसकी सम्यक सूचना अपीलार्थी को दी जावे।

अतः उपर्युक्त निर्देशों के साथ अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र के अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य